



# कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

## झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apcefdevjhk@jharkhandmail.gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / योब०-११/२०१७-१२६ दिनांक : ३०.०१.२०१८

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

उप वन संरक्षक,  
योजना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ, राँची

**विषय :-**

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “वन कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें” (अन्य व्यय) के अंतर्गत सी०य००४० नेटवर्क सेवा हेतु बी०एस०एन०एल० को भुगतान एवं मुख्यमंत्री जन वन योजना के वेबसाइट हेतु जैप आई०टी० को भुगतान के लिए कुल रु० 35.068 (पैंतीस लाख छः हजार आठ सौ रुपये) मात्र राशि का ऑनलाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

**प्रसंग:-**

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / योब०-०७/२०१७-४० / स्वी० व०प० दिनांक 16.01.2018 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या ०४ / योब०-०७/ २०१७-४५ / आ० व०प० दिनांक 18.01.2018।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष- 47 वन कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें” योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत एवं आवंटित राशि के अधीन कुल रु० 35.068 (पैंतीस लाख छः हजार आठ सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101470103	35.068
कुल :-		35.068

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 पर वर्णित उप वन संरक्षक, योजना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ, राँची होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-2 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या- 19S240601101470103 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

9

**4.** इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

**5.** पूर्व के सभी यंत्र-संयत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कर ही सामग्रियों का क्रय विहित प्रक्रिया अंतर्गत वित्तीय नियमों के अनुपालन के पश्चात किया जाएगा जिसकी सूचना विभाग को उपलब्ध कराएंगे।

**6.** निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

**7.** स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

**8.** राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार / उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम सं0-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

**9.** निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं हो तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

**10.** नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

**11.** योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों के अनुरूप की जाएगी।

**12.** निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

**13.** स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

**अनुलग्नक :— यथोक्त** ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, रांची

ज्ञापांक— ०१ / यो०ब०—११ / २०१७— । २६

दिनांक— ३०.०१.२०१८

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विशेष परियोजना, झारखण्ड, राँची / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— ०१ / यो०ब०—११ / २०१७— । २६

दिनांक— ३०.०१.२०१८

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “वन कार्यालयों का आधुनिकीकरण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत सी0यू0जी0 नेटवर्क सेवा हेतु बी0एस0एन0एल0 को भुगतान तथा मुख्यमंत्री जन-वन योजना के वेबसाइट ([janvan.jharkhand.gov.in](http://janvan.jharkhand.gov.in)) हेतु JAP IT को भुगतान हेतु उप आवंटित राशि

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	कार्य विवरणी		मजदूरी	कुल
i	ii	iv		viii	xi
1	उप वन संरक्षक, योजना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ, राँची	(i)	सी0यू0जी0 नेटवर्क सेवा हेतु बी0एस0एन0एल0 को भुगतान	21.068	21.068
		(ii)	मुख्यमंत्री जन-वन योजना के वेबसाइट ( <a href="http://janvan.jharkhand.gov.in">janvan.jharkhand.gov.in</a> ) हेतु JAP IT को भुगतान	14.000	14.000
		योग :-		35.068	35.068

अपर प्रधान मुख्य उन्न संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची 1





शारखण्ड सरकार

आवंटन आदेशझारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-11/2017/126

दिनांक -

30-Jan-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101470103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 47 - वन कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सूचना तकनीकी मेवायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>	89859	DRNFWL078 RAJ KAPOOR SINHA DYCF.PLAN.MONET.E AL.CELL	3,506,800.00 रुपये पैतीस लाख छ: हजार आठ सौ

State Scheme : MODERNIZATION & IT ENABLED SERVICES FOR FOREST OFFICES(0980)  
Central Scheme : NA

योगः

3,506,800.00

क्रमिक योगः

रुपये पैतीस लाख छ: हजार आठ सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

ADDI.PROP.DIV.VANARASHAND

RANCHI

Page 1 of 1

Run Date: 30/1/2018